न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 25/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/78

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
श्रीमति मोहनी देवी पत्नी रमेश कुमार, कौम–सुथार, निवासी–डांगरा तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	स्व. हुकमाराम पुत्र दरगाराम फौत के कायम मुकाम 1 राणाराम पुत्र हुकमाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 16.05.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक बेनिवाल व श्री रमेश कुमार हेमागुड़ा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय :– दिनांक :– 01.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा डांगरा के खेत खसरा नंबर 601, 602, 603, 664, 708, 709, 710, 712, 714, 740 जुमले रकबा 8.06 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 379, 389, 440 मी से सृजित हुए है। जिसकी खातेदारी स्व. हुकमाराम के नाम से आई हुई है व खसरा नंबर 738, 739, 742 रकबा 5.87 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 441, 442 मी से सृजित हुए है में से स्व. हुकमाराम की 1/2 हिस्से की खातेदारी आराजी, खसरा नंबर 666 रकबा 0.58 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 383 से सृजित हुए है में से स्व. हुकमाराम की 1/2 हिस्से की खातेदारी आराजी व खसरा नंबर 716, 717, 720, 722, 723, 730 जुमले रकबा 9.11 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 434 मी से सृजित हुए है में से स्व. हुकमाराम की 1/8 हिस्से की खातेदारी आराजी, खसरा नंबर 721 रकबा 4.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 731 रकबा 4.87 हैक्टेयर जुमले रकबा 9.01 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 434 मी से सृजित हुए है में से स्व. हुकमाराम के 1/8 हिस्से की खातेदारी आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी आई हुई है। प्रार्थीया स्व. हुकमाराम के पुत्र प्रतापाराम के स्व. रमेश कुमार की विवाहित धर्म पत्नी बैवा होने से प्रार्थीया स्व. हुकमाराम की जायज वारिशान एवं उतराधिकारी होने से हिन्दू उतराधिकारी एक्ट 1956 की धारा 6 के अनुसर मौजा डांगरा में स्थित स्व. हुकमाराम की खातेदारी आराजी प्रार्थीया का जन्म से नोशनल शेयर पैदा होने से [illegible] 1/28 हिस्सा आया होने से प्रार्थीया को 1/28 हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकार [illegible] प्रार्थना–पत्र पेश है। मौजा डांगरा में स्थित प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की पारिवारिक पुश्तैनी [illegible] उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी दिनांक 15.01.2025 को [illegible]जियन क्रमांक 202501442000262 को उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से हुकमाराम ने पुरी की पुरी आराजी अप्रार्थीगण 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 10 के पक्ष में अवैध रूप से गिफ्ट कर प्रार्थीया को प्रार्थीया के हिस्से की आराजी से अवैध रूप से वंचित कर प्रार्थीया को भूमिहीन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में स्व. हुकमाराम द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया गिफ्ट/दान दस्तावेज शूरू से ही प्रभाव शून्य होने से उक्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण को कोई विधिसम्मत टाईटल या कब्जा प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थीया स्व. हुकमाराम की जायज वारिशान एवं उतराधिकारी होने से मौजा डांगरा में स्थित उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी का स्व. हुकमाराम की खातेदारी आराजी में प्रार्थीया क 1/28 हिस्से की खातेदारी का नामान्तरकरण प्रार्थीया के नाम स्वीकृत किया जाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में स्व. हुकमाराम के बजाय 1/28 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दुरूस्त किया जाने का अधिकार होने से प्रार्थना-पत्र पेश है। अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण ताफैसला मूलवाद के सादिर फरमावें की वांके मौजा डांगरा के उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में प्रार्थीया के कब्जे काश्त व हिस्से में न तो अप्रार्थीगण स्वयं न किसी अन्य से दखलंदाजी करावें एवं राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

:- आदेश :-

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डांगरा के नवीन खसरा नंबर 601, 602, 603, 664, 708, 709, 710, 712, 714, 740 जुमले रकबा 7.96 हैक्टेयर, नवीन खसरा नंबर 738, 739, 742 जुमले रकबा 7.82 हैक्टेयर नवीन खसरा नंबर 716, 717, 720, 722, 723, 730 जुमले रकबा 9.11 हैक्टेयर नवीन खसरा नंबर 721 रकबा 4.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 731 रकबा 4.87 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:33 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **01.07.2025** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner